

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांक: एफ.2(22)आ.प्र.एवं राहा./लेखा/बजट/2025-26/00137

जयपुर, दिनांक:

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक-217/2025-26

माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मालपुरा द्वारा वाद संख्या 26/2012 कांटोली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बनाम राज. सरकार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2018 की पालना में मूल राशि 97,413/- रुपये (अक्षरे रुपये सत्तानवे हजार चार सौ तेरह) मात्र का भुगतान विभागीय बजट मद 2245-80-001-01-01-05 कार्यालय व्यय से एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2025-2026 में निम्न बजट मद से वहन किया जावेगा:-

- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
80 - सामान्य
001 - निर्देशन एवं प्रशासन
01 - प्रशासनिक एवं संस्थापन व्यय
01 - आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग
05 - कार्यालय व्यय (राज्य मद)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई. डी. संख्या 332600200 दिनांक 09.02.2026 द्वारा प्राप्त सहगति के क्रम में जारी की गई है। यह स्वीकृति माननीय न्यायालय में लम्बित अपील संख्या 374/2018 के अन्तिम निर्णय के अन्वये होगी।

(शैफाली कुशवाहा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा प्ररीक्षा-प्रथम), राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. जिला कलक्टर टोंक को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त राशि की डिमाण्ड डीएमआईएस पोर्टल पर प्रेषित कराने का श्रम करावें।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, टोंक।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation: Deputy Secretary To
Government
Date: 2026.02.13 11:03:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20529750

